संख्या-4701/9/आ-3-2003-74एल.यू.सी./2001

प्रेषक,

जे.एस. मिश्र,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **अध्यक्ष/उपाध्यक्ष**,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।
2. **नियंत्रक/नियत प्राधिकारी**,
समस्त विनियमित क्षेत्र,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 16 अक्टूबर, 2003

विषयः रूग्ण औद्योगिक इकाईयों को पुनर्वासन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु भू-उपयोग परिवर्तन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के शासनादेश संख्या-4501/9-आ-3-2001-74 एल.यू.सी./2001 दिनांक 24 अक्टूबर, 2001 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा रूग्ण औद्योगिक इकाईयों को पुनर्वासन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु उनकी सरप्लस भूमि का भू-उपयोग उक्त क्षेत्र की महायोजना में अंकित आवासीय/वाणिज्यिक उपयोग के रूप में प्रयोग किये जाने संबंधी औद्योगिक विकास विभाग के नीतिगत शासनादेश संख्या-यूओ.-51/87-4-2001 दिनांक 31 मार्च, 2001 को अंगीकार कर, तद्नुसार समस्त विकास प्राधिकरणों को कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है।

2- रूग्ण औद्योगिक इकाईयों की भूमि के भू-उपयोग परिवर्तन के संबध में स्थिति स्पष्ट करने हेतु औद्योगिक विकास आयुक्त एवं प्रमुख सचिव उद्योग, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में दिनांक 01.10.2003 को आयोजित बैठक में लिए गये निर्णय के अनुसार पूर्व में जारी शासनादेश दिनांक 24 अक्टूबर 2001 अनुक्रम में, मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि रूग्ण औद्योगिक इकाईयों के संबंध में स्थिति निम्नवत् स्पष्ट की जाती है :-

1. ऐसी रूग्ण औद्योगिक इकाईयों को जिन्हें पुनर्वासित करने का निर्णय शासन द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति अथवा बी.आई.एफ.आर. द्वारा लिया जाता है, को अपनी भू-सम्पत्ति को बेचकर उस धनराशि से पुनर्स्थापन/ऋण भुगतान करने का अनुमोदन देने की शासन की नीति है।
2. रूग्ण औद्योगिक इकाईयों को निम्न 02 वर्गों में बांटा जायेगा।

(क) ऐसी रूग्ण औद्योगिक इकाइयां जो नियोजित औद्योगिक आस्थान या मास्टर प्लान में अनुमोदित औद्योगिक क्षेत्र में लगी है उनकी अतिरिक्त भूमि मास्टर प्लान के भू-प्रयोग के अनुसार ही उपयोग हेतु बेची जायेगी और यदि उसमें भू-उपयोग परिवर्तन का कोई प्रकरण निहित है तो उसमें नियमानुसार भू-उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया अपनाकर निर्णय लिया जायेगा।

(ख) ऐसी रूग्ण औद्योगिक इकाईयां जो मास्टर प्लान बनने के पूर्व से कार्यरत हैं और नॉन कनफर्मिंग उपयोग में उनकी स्पाट जोनिंग कर दी गयी है, उन्हें उस इकाई से लगे हुए क्षेत्र का महायोजना में अंकित भू-उपयोग स्वतः उपलब्ध होगा और उसके लिए परिवर्तन की कार्यवाही में किसी शुल्क की देयता नहीं होगी। उक्तानुसार नॉन कनफर्मिंग उपयोग को समाप्त कर इसे मास्टर प्लान में अनुमोदित भू-उपयोग के रूप में माना जाएगा। यदि उस रूग्ण इकाई की भूमि की सीमा से मिले हुए भू-उपयोग के अतिरिक्त किसी अन्य भू-उपयोग का प्रस्ताव आता है, तो भू-उपयोग परिवर्तन सामान्य प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।

कृपया तद्नुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय

जे.एस.मिश्र
सचिव।